रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 676] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

का.आ. 768(अ).—— कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 152 की उपधारा (2) प्रावधान करता है कि कंपनी द्वारा प्रत्येक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति साधारण अधिवेशन में की जाएगी;

और उक्त अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (10) प्रावधान करता है कि धारा 152 के उपबंधों के अधीन एक स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी के बोर्ड में लगातार पांच वर्ष तक पद पर रहेगा परंतु कंपनी द्वारा विशेष संकल्प पारित किए जाने पर पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा और ऐसी नियुक्ति का प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 169 की उपधारा (1) प्रावधान करता है कि कोई कंपनी किसी ऐसे निदेशक को, जो धारा 242 के अधीन अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया निदेशक न हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले साधारण संकल्प द्वारा हटा सकती है;

और कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और हटाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों को प्रवृत्त करते हुए निम्नलिखित कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं, अर्थात्:-

(i) विभिन्न पणधारियों ने कंपनियों में कारपोरेट शासन की अपेक्षाओं को समुचित मानीटर करने और कार्यान्वयन के संबंध में कठिनाइयों का उल्लेख किया है और इन पणधारियों ने कारपोरेट शासन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 169 की समीक्षा करने का सुझाव दिया है जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशकों को हटाने से संबंधित है;

(ii) इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान में उक्त अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (10) के अधीन स्वतंत्र निदेशक को केवल विशेष संकल्प के माध्यम से दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है, ऐसे स्वतंत्र निदेशक को साधारण संकल्प द्वारा न कि विशेष संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है;

और उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए और कंपनियों में बेहतर कारपोरेट शासन सुनिश्चित करने के लिए और कंपनी बोर्ड की शक्तियों में संतुलन बनाए रखने के लिए यह महसूस किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169 में संशोधन करना आवश्यक है ताकि इस प्रकार से पुन: नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक को विशेष संकल्प द्वारा हटाने का प्रावधान किया जा सके;

अत: अब केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 169 की उपधारा (1) में,-

(i) परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कि धारा 149 की उपधारा (10) के अधीन दूसरे कार्यकाल के लिए पुन: नियुक्त किए गए किसी स्वतंत्र निदेशक को कंपनी द्वारा केवल विशेष संकल्प पारित करके और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद हटाया जा सकता है:";

(ii) वर्तमान परंतुक में, "परंतु कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 7/8/2016-सीएल-I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

S.O. 768(E).- Whereas, sub-section (2) of Section 152 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) provides that every director (including an independent director) shall be appointed by the company in general meeting;

And whereas, sub-section (10) of Section 149 of the said Act provides that subject to the provisions of section 152, an independent director shall hold office for a term up to five consecutive years on the Board of a company, but shall be eligible for re-appointment on passing of a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the Board's report;

And whereas, sub-section (1) of Section 169 of the said Act provides that a company may, by ordinary resolution, remove a director, not being a director appointed by the Tribunal under section 242, before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard;

And whereas, the following difficulties have arisen in giving effect to the above provisions of the said Act regarding appointment and removal of independent directors from the boards of companies, namely :-

(i) various stakeholders have suggested difficulties regarding proper monitoring and implementation of corporate governance requirements in companies and in order to strengthen corporate governance process, such stakeholders have suggested for reviewing section 169 of the said Act, which, *inter-alia,* deals with the removal of independent directors;

(ii) in view of the fact that presently an independent director is re-appointed for second term under sub-section (10) of section 149 of the said Act, only by way of a special resolution, such independent director can be removed by an ordinary resolution and not by a special resolution;

And whereas, in order to remove above said difficulty, and to ensure better corporate governance in companies, and balancing of powers of the board of the company, it is felt that there is a need for an amendment in section 169 of the Companies Act, 2013 to provide for removal of such re-appointed independent director by way of a special resolution;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulty, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Companies Act, 2013, in section 169, in sub-section (1), –

(i) before the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that an independent director re-appointed for second term under sub-section (10) of section 149 shall be removed by the company only by passing a special resolution and after giving him a reasonable opportunity of being heard:";

(ii) in the existing proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted.

[F. No. 7/8/2016-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.23 22:30:56 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.